राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्थाई भण्डार/फोटोंस्टेट/2020/178

ई-निविदा सूचना संख्या 3/2020-21

- निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2020–21 (एक वर्ष) हेतु दर संविदा पर दो फोटोस्टेट मशीन मय ऑपरेटर फोटोस्टेट कार्य करने हेतु अनुभवी फर्मों से ई-निविदा आगंत्रित की जाती है।
- 2. निविदादाता द्वारा निविदा की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in तथा पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 3. निविदा आवेदन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जाना है।
- 4. निविदा की अनुमानित लागत 25 लाख रुपये प्रति वर्ष है। निविदा के साथ निविदा फार्म शुल्क 1000/— रूपये तथा अमानत राशि 50000/— रूपये (पचास हजार रूपये) निदेशक (जन स्वारथ्य) के नाम से देय तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क 500/— रूपये एम.डी., आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम से देय बैंकर चैक/डी.डी. जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 5. निविदा के साथ सभी जमा शुल्क / बैंकर्स चैक, शपथ—पत्र, कागज, नमूना, एनेक्सर दिनांक 28.07.2020 तक मध्यान्ह 2 बजे तक स्थाई भण्डार अनुभाग (निदेशालय) मे जमा कराना अनिवार्य होगा।
- 6. तकनीकी निविदा के साथ वित्तीय बिंड के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड़ की जानी है।
- तकनीकी निविदा में सफल निविदाओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
- 8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) को होगा। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

दिनांक : 15.47.2020

राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

ई-निविदा सूचना संख्या 3/2020-21

क्र.	विवरण	विस्तृत विवरण
सं. 1	कार्य का विवरण	दर संविदा पर फोटो स्टेट कार्य
2	निविदा की अनुमानित लागत	25 लाख (एक वर्ष)
3	प्रतिभूति बोली राशि (धरोहर राशि)	50,000/— रू. का डी.डी./बेंकर्स चैक निदेशक (जन स्वा.) के नाम देय हो।
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	1,000 / — रू. का डी.डी. / बैंकर चैक निदेशक (जन स्वा.) के नाम देय हो।
5	RISL प्रसंस्करण शुल्क	500 / – रू. का डी.डी. / बैंकर चैंक एम. डी. आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम से देय हो।
6	निविदा प्रपत्र को अपलोड प्रारम्भ करने की दिनांक एवं समय	18.072020 सांय 4.00 बजे से
7	निविदा प्रपन्न को अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	28.07.2019 मध्यान्हः 12.00 बजे तक
8	तकनीकी निविदा के साथ संलग्न सभी शुल्क व आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की तिथि व समय	28.07.2020 मध्यान्हः 2.00 बजे तक
9	तकनीकी निविदा खोलने की तिथी व समय	29.07.2019 मध्यान्हः 3.00 बजे
10	तकनीकी निविदा जमा कराने व खोलने का स्थान	स्थाई भण्डार अनुभाग, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

नोट:— यदि तकनीकी निविदा खोले जाने वाले दिवस में राजकीय अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर ही खोली जावेंगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर

	तकनीकी	अर्हकारी मापदण्ड
क्र.सं.	आवश्यक मापदण्ड	संलग्न दस्तावेज
1	निविदा फार्म शुल्क राशि 1000/-रू० बतौर बैंकर चैक/डी.डी. निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में	स्केन प्रति निविदा के साथ अपलोड करावे तथा हार्ड कॉपी निविदा में उल्लेखित समयाविध में कार्यालय में जमा करावे।
2	RISL शुल्क राशि 500 / – रू० बतौर बैंकर चैक / डी.डी. एम.डी. आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में	
3		स्केन प्रति निविदा के साथ अपलोड करावे तथा हार्ड कॉपी निविदा में उल्लेखित समयावधि में कार्यालय में जमा करावे।
	आवश्यक दस्त	विज
4 •	(1) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (2) पैन नम्बर (3) जी.एस.टी., चुकता प्रमाण पत्र (31.03.2020)तक	संलग्न करावे।
5	एनेक्सर — "ए", " बी" , "सी", "डी" एवं "ई"	डिजिटल हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करे।
6	एनेक्सर — ''फ''	बिन्दु सं. (1) किये जाने वाले कार्य में प्रयुक्त कागज, मेक एवं नमूना निविदा शुल्क के साथ कार्यालय में जमा करावे। बिन्दु सं. (2) मशीनों का विवरण/क्षमता/ स्पेसिफिकेशन एवं क्रय वर्ष अंकित एवं मशीन का बिल RFP के साथ अपलोड करावे। बिन्दु सं.(3) तीन वर्षों का राजकीय विभागो में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं सन्तोषजनक कार्य सम्पादन का प्रमाण –पत्र संलग्न करावे।
7	एनेक्सर – ''जी''	100/-रु. के स्टाम्प पेपर पर नियत प्रारुप में हस्ताक्षरित एवं नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र।
8	एनेक्सर — "एच "	विगत तीन वर्ष (2017—18, 2018—19, 2019—20) का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर एवं अन्तिम लेखे संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करावे।
9		प्रोपराईटर/पार्टनरशिप/कम्पनी संबंधी दस्तावेज संलग्न करावे।



बोली/	'दर संविदा	द्वारा घो	षणा :-											
1.	बोली / दर	र संविदा	द्वि—प्रक्रमी	बोली	के रु	प में	आमंत्रित	की	गई	है ।	बोलीदाता	की	तकनीकी	क्षमता

		हेतु निम्न दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हेतु तकर्न	ोकी निविदा के साथ संलग्न है :
		(1) एनेक्चर – ए हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
		(2) एनेक्चर – बी हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
		(3) एनेक्चर – सी हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
	٠	(4) एनेक्चर – डी हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
		(5) एनेक्चर – ई हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
		(6) एनेक्चर – एफ हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
		(7) एनेक्चर – जी हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
uš.		(8) एनेक्चर – एच हस्ताक्षरित	पृष्ठ संख्या
	2.	यह कि मैं/हम (नाम)एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित नि	वेदा सूचना क्रमांक : १ एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर
		वस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है :	क् नीकी नि विदा के साथ निम्न लिखित
	•		हनीकी निविदा के साथ निम्न लिखित पृष्ठ संख्या
	•	दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है :	
4	•	दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है :	पृष्ठ संख्या
4	•	दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है : (1) (2) (3)	पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या
4	•	दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है : (1) (2) (3)	पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या
4	•	दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है : (1) (2) (3) (4)	पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या
∡	•	दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है : (1)	पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या

Control

- 3. यह की इस बोली/दर संविदा के संबंध में विशिष्ट शर्ते एनेक्चर –"ए से एच" तक मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़/समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरुप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं /हम उन शर्तो की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूं/है।
- 4. यह कि बोली / दर संविदा के तहत् अनुबन्ध होने पर बोली / दर संविदा के तहत् सप्लाई की जाने वाली सामग्री के दरों के अलावा किसी प्रकार भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 5. उक्त बोली / दर संविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर का होगा।
- 6. बोली / दर संविदा में अनुमोदित दरे कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। जिन्हें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम –29 एवं 73 के अनुसार बढाया जा सकेगा।
- 7. यह कि मेरी / हमारी तरफ से काई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गइ है।
- 8. फोटोस्टेट कार्य में उपयोग लिये जाने वाले कागज का सेम्पल संलग्न है।
- 9. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल के उपापन के मामले में कुल कार्य आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी। यह प्रतिभूति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 में नियम—75 के अनुसार स्वीकार की जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता निविदादाता का पूरा नाम/पद फर्म का नाम एवं पता, दूरभाष/मोबाईल नं

Comp

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR

TECHNICAL BID

1. Tender for Photo State Work

1	Name & Postal address of the firm submitting the tender	M/s		
2	Constitution of Firm (Proprietor/Partnership/Company)			
3	Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax)			
4	Email Id			
5	Annual Turn Over (2017-18, 2018-19 & 2019-20) Average turnover should be 17 lakh per year			
6	Pan Card No.			
7	GST No.			
8	GST Clearance Certificate up to 31-03 2020			
9	Shop Act. Registration Certificate No.			
10	Tin No.			



2.	The tender fee amounting to Rs. 1	000/- has been d	deposited vide / Bar	nker Cheque	3/
	Demand Draft Number	dated	payable to D	irector (PH),
	Medical & Health Services, Rajasth	an, Jaipur. & th	e Tenderer R.I.S.L.	fee Rs. 500/	/-
	has been deposited vide Banker Che	eque number	dated		
	payble to M. D., RISL, Jaipur.				

- 3. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Director (P.H.), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
- 4. The rates quoted above are valid upto 3 Months from the date of the opening of the Technical bid. The period can be extended with mutual agreement. in under Rules and claues of RTTP Rules 2013 and RTTP act 2012.
- 5. Details of Bid Security is as under:

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Bid Security	DD/Challan/Cash receipt no. & Date	Name of Bank
1	Photo State Work	Rs.25,00,000	Rs. 50,000/-	·	

- 6. G.S.T. Clearance Certificate are submitted herewith.
- 7. Two sets of samples are accompanied for articles marked within the schedule.
- 8. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
- 9. Photo state Machines will be installed within Three days from the date of issue of order.
- 10.11. The availability of No. of Photo state Machines in Year 2020 give detail Make, Model High speed machine 60 to 100 copies per minute.

Name of Si

Name of Singnature of Tenderer with Rubber Stamp

—: फोटो स्टेट दर संविदा कार्य वर्ष 2020—21 ई निविदा/दर संविदा की मुख्य शर्ते :— टिप्पणी:— निविदादाताओं को सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए एवं अपनी निविदाए भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी।

- 1. निविदा प्रपत्र दो भागों मे है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड़ है। निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ चाहे गये समस्त दस्तावेज, शुल्क, प्रमाण—पत्र, शपथ पत्र आदि की स्केन प्रति अपलोड की जानी है। ध्यान रहे तकनीकी बिड के साथ कहीं भी वित्तिय बिड अपलोड ना की जावें। निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ वित्तीय दरों को किसी भी कारण से अंकित किया पाया गया तो ऐसी निविदा को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- 2. निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राईटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा, बोली/दर संविदा द्वि—प्रक्रमी बोली के रुप में आमंत्रित की गई है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुए तकनीकी बोली/दर संविदा के साथ संलग्न करने हैं :-
- (i) पूरी धरोहर राशि / शुल्क की प्राप्ति (प्रतिभूति बोली दर, RISL शुल्क, निविदा फार्म शुल्क)।
- (ii) हस्ताक्षरित निविदा शर्ते।
- (iii)एनेक्सर ए,बी,सी,डी, ई।
- (iv)जीएसटी कर चूकती प्रमाण-पत्र (दिनांक 31.03.2020 तक)
- (v) सैम्पल (दो सैट में) जिनका कोई भुगतान देय नहीं होगा/सैम्पल/ठीक से पेक किया जाकर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सैम्पल उपलब्ध नहीं कराने की दशा में फर्म की निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार विभाग को होगा।
- (vi)फर्म के संविधान सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
- (vii) गत तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र सहित बिड प्रपन्न में वर्णित अन्य सूचनाएँ यथा पेन नम्बर, गत तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र, मशीन का विवरण।
- (viii) उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा, उक्त में से किसी बिन्दु की सूचना संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों की वित्तीय बिंड खोली जावेगी, जिसकी समय एवं तिथि से बाद में ऐसी योग्य निविदाकारों को सूचित किया जायेगा।
- 3. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना उपापन संस्था को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा
- 4. निविदा प्रपत्र पूर्ण एवं साफ-सुथरा शब्दो में बिना कॉट-छॉट भरा होना चाहिए।
- 5. निविदादाताओं को जीएसटी चुकती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6. वित्तीय निविदा में दरें माल भाड़ा / खर्च, सामग्री एवं समस्त कर सिहत प्रस्तुत की जानी है। तकनीकी निविदा में कहीं भी वित्तीय दर अंकित नहीं करे।
- 7. दर संविदा:—दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्याधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सिम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु



के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

- 8. **विधिमान्यताः** निविदा की विधिमान्यता 90 दिवस की होगी <mark>जिसे</mark> आपसी सहमति से नियमानुस्नार आगे बढाया जा सकेगा।
- 9. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 10. फर्म द्वारा निदेशालय परिसर में एक स्थान पर 2 फोटो स्टेट मशीने लगाई जावेगी। तथा फोटोस्टेट मशीन 2 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- 11. फोटो स्टेट मशीन पर बिजली के बिल का भुगतान फर्म द्वारा किया जावेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर इसके लिए अलग से मीटर लगाया जायेगा। विभाग मशीन के उपयोग हेतु किसी बिजली उपभोग का प्रदाय नहीं करेगा।
- 12. मशीनें प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सांयकाल 6.30 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवश्यकता होने पर इस अविध को बढाया भी जा सकेगा। निविदा प्रपत्र में अंकित सभी शर्ते मान्य होगी एवं आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिन फोटो स्टेट का कार्य करवाया जा सकता है। जिसके लिए निविदादाता को किसी प्रकार का अतिरिक्त भगतान देय नहीं होगा। मांग पत्र में निर्देशित कार्य उसी दिन पूर्ण कर फोटो स्टेट प्रतियां देनी होगी।
- 13. भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र का प्रोफार्मा कार्यादेश में दिया गया। अतः इसी प्रोफार्मा के अनुसार कार्य किया जावे व दिये गये विवरण के अनुसार सूची तैयार की जाकर बिल तीन प्रतियों में प्रतिमाह प्रस्तुत किया जावें।
- 14. फोटोस्टेट कार्य हेतु 70 जीएसएम ए ग्रेडमील (यथा जिरोक्स, जेक, टीएनपीएल) का पेपर ही प्रयोग में लिया जायेगा। इससे हल्का पेपर प्रयोग में नहीं लिया जायेगा। निम्न क्वालिटी के पेपर का प्रयोग पाये जाने पर उस माह के सम्पूर्ण बिलों से रुपये 0.25 प्रति कॉपी की दर से पेनल्टी काट ली जायेगी।
- ' 15. फोटोस्टेट के उपयोग में लिये जा रहे पेपर का आकस्मिक निरीक्षण निदेशक (जन स्वा.) द्वारा गठित समिति द्वारा किया जा कर प्रत्येक तीन माह में रिर्पोट प्रस्तुत की जायेगी।
 - 16. फर्म के द्वारा निविदा कार्य अन्य किसी फर्म / व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जावेगा। अगर ऐसा पाया गया तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
 - 17. बोली/दर संविदा के तहत् अनुबन्ध होने पर बोली/दर संविदा के अलावा किसी प्रकार भुगतान नहीं किया जावेगा।
 - 18. उक्त बोली / दर संविदा को आंशिक रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने तथा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राज. जयपुर को होगा।
 - 19. दर संविदा के अधीन कीमते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29 (ज) के अध्यधीन होगी।
 - 20. बोली / दर संविदा में अनुमोदित दरे कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी लेकिन दर संविदा को आपसी सहमित से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 29 (झ) के अनुसार 3 माह से अनिधक अविध तक बढाई जा सकेती है।



- 21. श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की पूरी बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइट http://www.rajswasthya.nic.in, और http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल रुपये का 500/— रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक प्रबंध निदेशक, ई टेंडर प्रक्रिया का प्रसंस्करण शुल्क प्रबंध निदेशक, RISL जयपुर के नाम से देय हो संलग्न करने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा। निविदा प्रपत्र शुल्क 1000/— रू0 डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के माध्यम से निदेशक (जन खा.) के नाम से देय/पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 22. बोली दस्तावेज पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि/सहित सभी संचार (तकनीकी और वित्तीय बोली) द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
- 23. तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाई गई बोलियों की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना सम्बन्धित बोली दाताओं को ई–मेल के जिरये दी जावेगी।
- 24. बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि (धरोहर राशि), टेंडर प्रक्रिया शुल्क, RISL शुल्क, राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं कागज का नमूना (केवल तकनीकी निविदा) इनको हार्डकॉपी के साथ संलग्न कर दिनांक 28.07.2020 को मध्यान्ह 2.00 बजे तक स्थाई भण्डार अनुभाग, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर में जमा करवानी होगी।
- 25. बोलीदाता ई उपापन की वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई— निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें।
- (1) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए। निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (2) बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर और ई— टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालना करना होगा। बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। आफलाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाऐगा और खारिज कर दिया जाएगा।
- (3) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं को बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQXLS (माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के विना विवरण भरें। जबकि अपलोड ई डाउनलोड BoQXLS (माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल) में किए गए छेडछाड/परिवर्तन को प्रारुप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (4) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर गैर अनुपालन के मामले में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (5) यदि कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा, तो वह इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलादाताओं को बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखना चाहिए।
- (6) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाता निदेशालय, में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते है।
- (7) बोलीदाता के लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है, बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारुप में दस्तावेज को स्केन करने के लिए अनुरोध कर रहे है।
- 26. फर्म को राजकीय विभागों / संस्थाओं / स्वायतशासी निकायों में रुपये औसतन 17 लाख वार्षिक (एक वर्ष) के कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के सम्बन्ध में फर्म द्वारा द्वारा गत तीन वर्षों में



2017—18, 2018—19 व 2019—20 में राजकीय विभागों/संस्थाओं में किये गये फोटो स्टेट के कार्य का विवरण मय अनुभव प्रमाण पत्र/अंकेक्षित लेखे/सी.ए. का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

- 27. तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
- 28. विभाग द्वारा केवल स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। मशीन ऑपरेटर व पेपर फर्म (निविदा में प्रस्तुत नमूने के अनुसार) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऑपरेटर को दिये जाने वाले भुगतान के संबंध में विभाग का किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा। मशीन के रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। विभाग केवल प्रतियों की संख्या के आधार पर अनुमोदित (समस्त कर, सामान, मय जी.एस.टी. सहित) दरों से भुगतान करेगा।
- 29. प्रतिदिन प्राप्त होने वाली पर्चिया को आगामी कार्य दिवस में भण्डार अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए हस्ताक्षर देने होगें। 100 फोटो प्रति से अधिक फोटो प्रति होने की स्थिति में सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारी से हस्ताक्षरित पर्ची मय मोहर उपलब्ध करवानी होगी। भुगतान हेतु वाऊचरों के विवरण की सूची एवं कार्यादेश का प्रोफार्मा के अनुसार कार्य किया जावे व दिये गये विवरण के अनुसार सूची तैयार की जाकर बिल तीन प्रतियों में प्रतिमाह प्रस्तुत किया जाये।

30.बोली प्रतिभूति :--

- (1) निविदा के साथ राशि 50000 / रु. बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जायेगी एवं इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (2) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि—प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्किलत मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो, बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा—विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभृति देने की अपेक्षा की जायेगी।
- (3) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
- (4) बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूति करने की घोषणा आवश्यक रुप से मृहरबंद बोली के साथ होगी।
- (5) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रुप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
- (6) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रुपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस. (E-Grass) के माध्यम से जमा के रुप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गयी विधिमान्यता की कालाविध से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।
- 31. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- (1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा की जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।



- (2) कार्य सम्पदान प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। यह राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लिम्बत है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररुपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:--
 - (क) "ई.जी.आर.ए.एस. (E-Grass) के माध्यम से जमा",
 - (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट / लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो, बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपाचारिक रुप से उपापन संस्था के नाग अंतरित की जायेगी।
 - (घ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले / उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय / समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
- 32. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिर्वतन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है, या बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है, तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेज में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें, या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।
- 33. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 के नियम—74 के अनुसार कार्य विभाजित किया जा सकेगा।
- 34. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर में फोटोस्टेट का कार्य की दर संविदा के लिए निविदा हेतु दरे एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष) के लिए अनुमोदन कराने हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए, निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें।
- (1) बोलीदाताओं को ई—िनविदा प्रक्रिया को समझने के लिये वेबसाइट http://www.eproc. rajasthan. gov.in के ''ठेकेदार के लिये मदद'', ''डीएससी (डीजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) के बारे में जानकारी'', ''पूछे जाने वाले प्रश्न'' उन्हें चाहिए कि ''बोलीदाताओं को मैनुअल किट और वेबसाइट पर इलेक्ट्रांनिक बोलियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दु संख्या 8 के लिंक को खोलकर देखना चाहिए।
- (2) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा, तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियो पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा, वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नॉमित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- 35. यदि फोटोस्टेट कार्य का प्रदाय उपापन संस्था की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था किसी भी समय कार्यादेश निरस्त (Repudiate) कर सकती है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 36. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

- 37. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरणः— बोली प्रतिभित राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगाः—
- (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है।
- (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (3) जब निविदादाता प्रदायी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (4) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
- 38. करार एवं प्रतिभृति निक्षेप :--
- (1) सफल निविदाओं को स्वीकृति आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाए स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा को स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी।
- (2) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।
- (3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 39. बीमा:—सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्यों में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- 40. सफल निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा की उसके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली फोटोस्टेट मशीन खराब होने की स्थिति में फोटोस्टेट कार्य के लिए Stand by Arrangement हमेशा तैयार रखेगा। Stand by Arrangement से भी फोटोस्टेट कार्य समय पर नहीं किये जाने की दशा में 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति लगाई जाएगी तथा सफल निविदादाता की Risk and Cost पर विभाग द्वारा अन्यत्र भी फोटोस्टेट कार्य किया जा सकता है तथा कराये गये फोटोस्टेट कार्य की राशि की वसूली उसको भुगतान किये जाने वाले बिलो से जायेगी।
- 41. परिसमापित नुकसानी :- परिसमापित नुकसानी के साथ फोटोस्टेट कार्य सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-
- (1) (क) विहित फोटोस्टेट कार्य सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के 2.50 प्रतिशत
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 प्रतिशत
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.50 प्रतिशत
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
- (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधितम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- 42. निविदादाओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 43. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :--
 - (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

COM!

- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
- (iii)एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
- (iv)कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रिजस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- 44. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। उस अधिकारी का इस संविदा से संबंध नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- 45. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
- 46. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रो के समस्त पृष्ठो पर अपना हस्ताक्षर मय सील के प्रस्तुत करेगें।
- 47. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जो आवश्यक हो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 व नियम—2013, के प्रावधान व समय—समय पर सरकार द्वारा जारी आदेश लागू होगें।
- 48. यह की इस बोली / दर संविदा के सम्बन्ध में निविदा की सभी शर्ते व बिन्दु मेरे / हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ व समझ लिया गया है, जिसके प्रमाण स्वरुप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं / हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ / है।

हस्ताक्षर निविदादाता निविदादाता का पूरा नाम/पद फर्म का नाम एवं पता, दूरभाष/मोबाईल नं.



49- Annexure - A :- COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:

Any person participating in a procurement process shall-

- a) Not offer any bride, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise in fluence the procurement process:
- b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:
- c) Not indulge in any collusion. Bid rigging or any-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process:
- d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process.
- f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
- g) Disclose conflict of interest, if any; and
- h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- I. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if. Including but not limited to
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired or is proposed to be hired by the procuring entity as engineer inchage/ consultant for the contract.



50-Annexure - B: DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS:

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to	. for procurem	ent of
in response to their Notice inviting Bids	No	
Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan	Transparency in	Public
Procurement Act, 2012, that:		•

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we not insolvent, receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any off the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of bidder
Place:	Name:
	Designation:
	Address:



51- Annexure - C:- GRIVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

(1) Filling an appeal

If and Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision. Action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rules of the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision on action, omission as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial bids. An appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it or within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate Authority, as the case may be

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

- (a) Determination of need of procurement:
- (b) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process:
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process:
- (e) Applicability of the provisions of Confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority of Second Appellate Authority as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Band in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents. If any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.

OF

FORM NO. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appea	l No of
Before	the (First / Second Appellate Authority)
1.	Particulars of appellant:
	(i) Name of the appellant:
	(ii) Official Address. If any:
	(iii) Residential Address
2.	Name and address of the respondent (S)
	(i)
	(ii)
	(iii)
	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.	If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal
	address of the representative;
	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6.	Ground of Appeal:
	(Supported by an affidavit)
	(Supported by an affidavit)
7.	
Pra	ayer:
Pla	ace
Da	ate
Al	ppellant's Signature

@grid

52- Annexure - D:- Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (ii) if the is an error in a total corresponding to the additional or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which cases the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) If the Procuring Entity does not procure any subject mater of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensating except otherwise provided the Conditions of Contract.
- (ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
- 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and the vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid accepted and the second lowest Bidder equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.
- 53-The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (P.H.) Medical & Health Services, Rajasthan Jaipur, The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical & Health Department, Rajasthan Jaipur.

Signature Of Bidder
With Rubber Stamp

Q2nd

निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।

विषय: - निविदा प्रस्तुत।

महोदय

ई—निविदा सूचना क्रमांकः स्थाई <u>भण्डार/फोटोस्टेट/2020/.........दिनांक.........</u>के क्रम में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर में फोटो स्टेट का कार्य के लिए निविदा हेतु दरें एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष) के लिए अनुमोदन हेतु अपने अनुबन्ध (एस) के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रुप देने हेतु दरों का वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है।

1. निम्नलिखित दस्तावेज जमा फीस आदि जमा कराये जाने के सबूत के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे हैं:--

क्र.सं.	विवरण	नम्बर	दिनांक	धैंक
1	निविदा शुल्क रु/ – नकद			
	डीडी / बैंकर चैक (निदेशक (जन स्वा.)			
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के			
	नाम से बना हो, जो जयपुर में देय हो)			
2	RISL प्रसंस्करण शुल्क रु/-			
	नकद डीडी / बैंकर चैक (निदेशक (जन			
	रवा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर			
	के नाम से बना हो, जो जयपुर में देय हो)			
3	बोली प्रतिभूति राशि रु/-			
	नकद डीडीं / बैंकर चैक (निदेशक (जन			
	स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर			
	के नाम से बना हो, जो जयपुर में देय हो)	2 & &		

- 2. अनुबंध की अविध के प्रभावी होने की तिथि से एक साल के लिए किया जायेगा।
- 3. मैं / हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्याकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जायेगा उसके लिए हम बाध्य होगें।
- 4. इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं / हम एतद् द्वारा (एनेक्चर-ए से एच तक) के साथ -ही विधिवत हमे / मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत है। मैं / हम / मेरे हमारी और से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे है।
- ◆5 इस सम्बन्ध में सभी कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न है। सभी दस्तावेजों / दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे द्वारा स्वयं सत्यापित किया गया है। दस्तावेज गलत पाये जाने पर विभाग कानून के किसी सक्षम न्यायालय में मेरे / हम पर मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है।
- 6. मेरे / हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपन्न के साथ संलग्न कर दिया गया है।

बोलीदादाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
रिथति / हस्ताक्षरकर्ता की पोस्ट	
फर्म / एजेन्सी का नाम	
दिनांक	



1	निदेशालय	में	फोटो	स्टेट	का	कार्य	ठेके प	र कराये	जाने	वाले	कार्य	का	विवरण	:
---	----------	-----	------	-------	----	-------	--------	---------	------	------	-------	----	-------	---

क्र.सं.	फोटो स्टेट कार्य का विवरण	70 जी.एस.एम. ए ग्रेड मिल	पेपर सेम्पल संलग्न
		(जिरोक्स जे.के.,टी.एन. पीएल.)	किया जावें।
		या इसके अनुरुप मेक भी	
		अंकित करे।	
1	निदेशालय में ठेके पर कराये जाने वाले		
	फोटो स्टेट कार्य		
A	ए–4 साईज एक तरफ		
		.:	
В	ए-4 साईज दोनो तरफ		
С	एफ.एस. साईज एक तरफ		
D	एफ.एस. साईज दो तरफ	,	
		ļ	

	V V.		\sim	
2	मशीनी	का	विवरण	٠

क्षमता / स्पेसिफिकेशन	क्रय वर्ष
	क्षमता / स्पेसिफिकेशन

3. सरकारी विभागों / सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव :--

नाम वि	भाग	कार्य अवधि	किये गये कार्य की	अनुभव प्रमाण – पत्र
			अनुभानित लागत	

4. फर्म का वार्षिक टर्नओवर

वर्ष 2017—18	रुपयेलाख (दस्तावेज संलग्न करे)
वर्ष 2018—19	रुपयेलाख (दस्तावेज संलग्न करें)
वर्ष 2019—20	रुपयेलाख (दस्तावेज संलग्न करे)

निविदादाताओं के हस्ताक्षर मय मोहर

- 1. निविदादाताओं का नाम
- 2. डाक का पता
- 3. टेलीफोन नम्बर(दुकान)

(घर)

जयपुर दिनांक

Con

Annexure: G

DECLARATION by the Bidder on Non judicial Rs.100 stamp paper (To be filled by the Bidder)

To,	
{Procuring entity},	
In response to the NIB Ref. No	dated fo
{Project Title}, as an Owner/ Partner/ Director/Auth.Sign. Of	
I/ We hereby declare that presently our	
Company/ firm at the time of bidding,: -	•
a) possess the necessary professional, technical, financial and resources and competence required by the Bidding Document in Procuring Entity;	ssued by the
b) have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable. State Government or any local authority as specified in the Biddin	ng Document;
c) is having unblemished record and is not declared ineligible for practices either indefinitely or for a particular period of time government/ PSU/ UT.	corrupt & fraudulent
does not have any previous transgressions with any entity in Ind country during the last three years	ia or any other
e) does not have any debarment by any other procuring entity is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up administered by a court or a judicial officer, not have its busines and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing	ss activities suspended greasons;
does not have, and our directors and officers not have been con- offence related to their professional conduct or the making of misrepresentations as to their qualifications to enter into a procur aperiod of three years preceding the commencement of the procu- have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding	of false statements or rement contract within rement process, or not
h) does not have a conflict of interest as mentioned in the biddin materially affects the fair competition.	g document which
If this declaration is found to be incorrect then without prejudice t may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the be cancelled.	o any other action that s thereto prescribed by
Thanking you, Name of the Bidder: - Authorised	

ogn /

Signatory: -

Place:

Seal of the Organization: Date:

Annexure: H

औसत वार्षिक टर्न ओवर की सूचना

प्रमा	णित	किया	जाता	है कि	मैस	र्स	•••••		••••••
का	पिछर	ने तीन	वित्ती	य वर्षों	का	ਟਰ੍	ओवर	निम्नानुसार	है:-

क्र. सं.	वित्तिय वर्ष	टर्न ओवर की राशि (लाख में)
1.	वर्ष 2017—18	
2.	वर्ष 2018—19	
3.	वर्ष 2019—20	
	योग	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

चार्टड अकाउन्टेंट के हस्ताक्षर मय सील

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

ON THE

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR

FINANCIAL BID

1. Rate for Photostate Work (Inculding all taxes, duties etc.)

Name of Firm M/s								
S.No.	Name Item with Specification	Rate in Figure Per copy Including G.S.T / Taxes & All Other Expenses	Rate in Words Per Copy Including G.S.T / Taxes & All Other Expenses					
(1)	A-4 Single Side		_					
(2)	A-4 Both Side							
(3)	Full Size Single Side							
(4)	Fuil Size Both Side							

- 2. Photo State machines will be installed within Three days from the date of issue of order.
- 3. The rate quoted above are valid for one year from the date of the order. The period can be extended with mutual agreement, as per rule.
- 4. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Numberissued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
- 5. Only one bidder shall be assigned entire photostate work of all category (A-4/Full size/Single Side/ Both sides).

Note:-Rates shall only be filled in BOQ at website http://eproc.rajasthan.

- 1. The rate quoted should be inclusive of all duties, taxes, case etc.
- 2. Rate should be quoted on separate sheet for each items.
- 3. Rate should be quoted both in Figures & words.
- 4. Read all the terms & conditions before filling the bid.

Signature of Tenderer With Rubber Stamp

(Odr)